

संख्या ए-35021/02/2019-एन.टी.एच.

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
(राष्ट्रीय परीक्षण शाला प्रभाग)

12/2, जाम नगर हाऊस, नई दिल्ली
दिनांक 30 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (₹67,700 - 2,08,700) में प्रशासनिक अधिकारी, एन.टी.एच. के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मामले विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (₹67,700 - 2,08,700) में प्रशासनिक अधिकारी, एन.टी.एच. के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित में से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।

I. केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने -

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; अथवा
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100 - 1,77,500) में या समकक्ष पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा

(ख) नीचे विनिर्दिष्ट की गई अर्हताएं और अनुभव धारित करता हो -

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री; और
(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त अथवा सांविधिक निकाय में लेखा, प्रशासन और स्थापना कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो;

II. वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में ₹56,100 - 1,77,500 रूपए के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके विभागीय प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-I) पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने की स्थिति में इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।

III. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

IV. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


V. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 से पहले अथवा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में संशोधित स्तर को लागू किए जाने की तारीख से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू वेतन मैट्रिक्स में तदनुसूची स्तर में दी गई सेवा समझा जाएगा सिवाय वहां जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमानों को वेतन मैट्रिक्स में साझा स्तर के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया हो और जहां यह लाभ केवल उन पद (दों) के लिए होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

तैनाती का स्थान कोलकाता है।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त योगताओं तथा अनुभव को पूरा करने वाले इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें इस पद पर उनका चयन हो जाने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन संलग्न प्ररूप (परिशिष्ट-1) में, 5 वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों (जिनका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, जो अवर सचिव से कम के स्तर का न हो) सर्तकता निकासी, पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई शास्ति नहीं संबंधी विवरण, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और संवर्ग निकासी (संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार) सहित, उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, 12/2, जाम नगर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों (पैंतालीस दिनों) के अन्दर-अन्दर अग्रेषित कर दिए जाएं। उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों संलग्न न किए हुए अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. चयन हो जाने के उपरान्त आवेदकों को किसी भी आधार पर अपनी उम्मीदवारी वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भवदीय,



(डी.के. सोनकर)

उप निदेशक (एन.टी.एच.)

दूरभाष सं. 23073612

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को व्यापक परिचालन के अनुरोध के साथ।
3. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, सी पी ब्लॉक, सेक्टर-V, साल्ट लेक, कोलकाता-700009, को इस अनुरोध के साथ कि इसे एन.टी.एच. की वेबसाइट पर भी पोस्ट करें।
4. एन.आई.सी., उपभोक्ता मामले विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि व्यापक परिचालन के लिए इस रिक्ति परिपत्र को वेबसाइट <http://consumeraffairs.nic.in> पर अपलोड करें।


(डी.के. सोनकर)

उप निदेशक (एन.टी.एच.)

दूरभाष सं. 23073612

प्रपत्र

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय), कोलकाता के पद के लिए आवेदन

1. नाम और पता (बड़े अक्षरों में) (कार्यालय और आवास का पूरा डाक पता)
2. जन्मतिथि (ईस्वी सन में)
3. केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख
4. शैक्षिक योग्यता -:
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं संतोषजनक है (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी एक के समतुल्य समझा गया हो तो, उसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें।)

अधिकारी द्वारा अधिगृहित अर्हता/अनुभव
अपेक्षित अर्हताएं/ अनुभव

अनिवार्य (1) (2) (3)

वांछनीय (1) (2) (3)

6. कृपया आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट बताएं कि क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।
7. कालक्रम के अनुसार नियोजन के ब्यौरे। यदि नीचे जगह कम हो तो अपने विधिवत हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग कागज संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	धारित पद	से	तक	वेतनमान और वेतन मैट्रिक्स में स्तर	ड्यूटियों की प्रकृति (विस्तार में)

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्द्ध - स्थायी अथवा स्थायी
9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं:-
 - क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि
 - ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित है।
10. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे। कृपया बताएं कि क्या आप निम्नलिखित के अधीन कार्यरत हैं (संबंधित कॉलम में अपने नियोजक का नाम बताएं)

(क) केन्द्र सरकार	(घ) विश्वविद्यालय
(ख) स्वायत्तशासी निकाय	(ङ) अन्य
(ग) सरकारी उपक्रम	

11. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे हैं और फीडर श्रेणी अथवा फीडर श्रेणी के फीडर में हैं।
12. क्या आप संशोधित वेतनमान अथवा वेतन ले रहे हैं? यदि हां, तो वह तारीख बताएं कि जिस से संशोधन किया गया है और संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं।
13. वर्तमान में प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां।
14. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे (इसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी जाए) :
 - (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता
 - (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण; और
 - (iii) विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त अनुभव। (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।
15. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं।
16. टिप्पणियां: (अभ्यर्थी निम्नलिखित से संबंधित सूचना निर्दिष्ट करें)
 - (i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना;
 - (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/शासकीय प्रशस्ति ;
 - (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों से सम्बद्धता;
 - (iv) अन्य कोई सूचना।
(टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें) ।

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूँ कि चयन समिति द्वारा पद पर चयन के समय, मेरे द्वारा विधिवत् पस्तुत किए गए दस्तावेजों सहित शिक्षा आदि के संक्षिप्त विवरण पर भी विचार किया जाएगा।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पता
दूरभाष संख्या

प्रतिहस्ताक्षरित
(नियोक्ता की मुहर और दूरभाष संख्या)

टिप्पणी: जब कभी आवासीय पते अथवा दूरभाष में परिवर्तन हो तो अभ्यर्थी/नियोजक को इसकी सूचना देनी चाहिए।

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

..... के पद पर कार्यरत श्री/श्रीमती/सुश्री
..... के सेवा रिकार्डों की जांच करने के बाद, यह प्रमाणित किया जाता है कि
इनकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे है।

मुहर सहित अधिकारी का नाम और पदनाम
(उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिसका रैंक उप सचिव के स्तर से कम न हो।)

बड़ी/छोटी शास्तियों संबंधी प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले दस वर्षों के दौरान के पद पर कार्यरत
श्री/श्रीमती/सुश्री पर कोई बड़ी और छोटी शास्तियां अधिरोपित नहीं की गई हैं।

मुहर सहित अधिकारी का नाम और पदनाम
(उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिसका रैंक उप सचिव के स्तर से कम न हो।)

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र-

यह प्रमाणित किया जाता है के पद पर कार्यरत श्री/श्रीमती/सुश्री
के विरुद्ध न तो कोई सतर्कता मामला/अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई लंबित है और न/ही विचाराधीन है
उनके विरुद्ध सतर्कता का कोई मामला नहीं है।

मुहर सहित अधिकारी का नाम और पदनाम
(उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिसका रैंक उप सचिव के स्तर से कम न हो।)

संवर्ग निकासी प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने श्री /श्रीमती..... को प्रतिनियुक्ति आधार पर
प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु आवेदन करने के लिए संवर्ग निकासी दे दी है।

मुहर सहित अधिकारी का नाम और पदनाम
(उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिसका रैंक उप सचिव के स्तर से कम न हो।)